

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**  
**(E-mail- ds-cggad4@cg.gov.in, PH.-0771-2503323)**

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06.07.2026

क्रमांक—ESTB-102(2)/43/2026-GAD-4:: राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित तहसीलदारों को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल—12 (₹56,100—1,77,500) में पदोन्नत करते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर (4) में दर्शाये अनुसार अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना जिला	नवीन पदस्थापना जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री कृष्ण कुमार जायसवाल, तहसीलदार	तहसीलदार, जिला—जांजगीर चांपा (छ.ग.)	डिप्टी कलेक्टर, जिला—बस्तर
2	श्री गोविन्द कुमार सिन्हा, तहसीलदार	तहसीलदार, जिला—सरगुजा (छ.ग.)	डिप्टी कलेक्टर, जिला—नारायणपुर
3	श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता (निःशक्त) तहसीलदार	तहसीलदार, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	डिप्टी कलेक्टर, जिला—दुर्ग

2/ उपरोक्त पदोन्नतियां तीन वर्ष की स्थानापन्न अवधि के लिए होगी तथा पदोन्नत अधिकारियों की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होगी।

3/ उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP (PIL) NO. 91/2019, S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other's में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1/2013/1-3, दिनांक 26.02.2014 में निहित निर्देश के तहत आदेश के सरल क्रं.03 श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता (निःशक्त) तहसीलदार को भविष्य में दिव्यांगजन संवर्ग से पदोन्नति में आरक्षण की पात्रता नहीं होगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(क्लेमेन्टीना लकड़ा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक—ESTB-102(2)/43/2026-GAD-4 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06.07.2026

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-4/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, विधानसभा रोड़, रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर की ओर उनके पत्र क्र./167/GENS-2101/3771/2026 दिनांक 16.06.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
5. आयुक्त, भू-अभिलेख, नवा रायपुर अटल नगर
6. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा/बस्तर, छत्तीसगढ़
7. कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा /बस्तर /सरगुजा /नारायणपुर /दुर्ग (छ.ग.)। यदि पदोन्नति आदेश में उल्लेखित किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच के लिए आरोप-पत्र या छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम, 1966 के अंतर्गत निलंबित/कोई शास्ति से दण्डित किया गया हो अथवा विचाराधीन हो, तो उक्त अधिकारी को पदोन्नति हेतु कार्यमुक्त न किया जावे तथा स्थिति की विस्तृत जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाए,
8. नोडल अधिकारी (उप सचिव,साप्रवि कक्ष-13) ई-आफिस सेल, मंत्रालय,नवा रायपुर अटल नगर
9. अवर सचिव, छ.ग.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
10. संचालक, जनसंपर्क छत्तीसगढ़, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर,
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-जांजगीर-चांपा /बस्तर /सरगुजा /नारायणपुर /दुर्ग (छ.ग.)
12. सर्व संबंधित अधिकारीगण ..... की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
13. संबंधित कार्यालय- .....
14. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
15. आर्डर बुक ।

अनुभाग अधिकारी  
सामान्य प्रशासन विभाग